



एक कदम पारदर्शिता की ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - मार्च - 2023



राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 09

मार्च 2023
संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई-मेल : singh.rr9@gmail.com

[@srajeshranjan](https://twitter.com/srajeshranjan)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 21वां अंक है। अभी तक आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 20 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्ववत ही इस बार भी हमने पत्रिका में स्थलीय निरीक्षणों, समीक्षा बैठकों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों को जगह दी है ताकि आम जनता को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की वस्तुतः जानकारी मिल सके। इस अंक में सोशल मीडिया द्वारा मिली जानकारी के आधार पर लिए गए संज्ञान के मामले को भी जगह दी गई है। साथ ही बीते माह मीडिया में प्रकाशित आयोग की खबरों को भी प्रकाशित किया गया है। आशा है मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहे।

धन्यवाद

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003


website: <http://ncsc.nic.in>

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

<https://ncsc.nagd.in/>

02 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - न्यूजलेटर

National Commission
for Scheduled Castes



श्री विजय सांपला
अध्यक्ष




श्री अरुण हालदार
उपाध्यक्ष



डॉ. अंजू बाला
सदस्या



श्री सुभाष रामनाथ पारधी
सदस्य



डॉ. भीमराव अंबेडकर



@NCSC_Gol



@NCSC.Gol



@ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश



श्री विजय सांपला
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। अप्रैल माह के दौरान इसे आगे की कार्रवाई करने के निर्देश के साथ सरकार को अग्रेषित करने के लिए यह रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने की योजना है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान आयोग द्वारा किए गए कार्य तथा उक्त पर आयोग की संस्तुतियों को शामिल किया गया है। हमारा प्रयास है कि आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी को मासिक पत्रिका के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए, 20 अंक प्रकाशित भी किए जा चुके हैं और इस बार 21 वां अंक प्रकाशित किया रहा है।

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

आयोग के कार्यों को डिजिटल मोड में करने के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) के ग्यारह सदस्यों और दो प्रबंधकों को बीते 1 मार्च, 2023 को आयोग मुख्यालय में नियुक्त कर दिया गया है। इससे पूर्व आयोग का समस्त डाटा स्केन करके ऑनलाइन कर दिया गया है और फाईल माईग्रेशन का काम प्रगति पर है।

इसके अलावा बीते मार्च माह के दौरान भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार, भेदभाव की घटनाओं पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कड़ी नजर रही है। लोगों से मिली शिकायतों, मीडिया-सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं पर आयोग ने पूर्ववत ही संज्ञान लिया और नोटिस जारी किए। कई मामलों में आयोग के दल ने घटना की पूर्ण जानकारी लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण भी किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आयोग मुख्यालय से लेकर राज्य कार्यालयों में भी शिकायतों का निपटारा करने के लिए जनसुनवाई की जाती है। आयोग की प्रतिबद्धता है कि शहरों से लेकर दूरस्थ गांवों में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है।

मासिक पत्रिका को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग पूर्ववत वांछनीय रहेगा।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

सफल मामले



'आयोग' की अनुशंसा पर मिली महिला को नौकरी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बीते माह एक मामले की सुनवाई की जिसमें वादी को नौकरी दिलाई गई। यह मामला झारखंड निवासी श्रीमती सुनीता कुमारी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाने से संबंधित था। इस मामले में श्रीमती सुनीता देवी ने आयोग के समक्ष आवेदन किया था कि उन्हें अनुकंपा के आधार पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड(बीसीसीएल) में नौकरी दिलाई जाए।

इस पर आयोग ने नोटिस जारी करने से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया को पूरा किया। अंततः इस मामले में बीसीसीएल ने आयोग की अनुशंसा को माना और श्रीमती सुनीता कुमारी को नौकरी दी।

बीते माह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री

विजय सांपला की अगुवाई में हुई सुनवाई के दौरान बीसीसीएल के संपर्क अधिकारी श्री बिनय रंजन टूडू ने बताया कि 28 नवंबर 2022 और 3 जनवरी 2023 को की गई आयोग की अनुशंसा का अनुपालन करते हुए श्रीमती सुनीता देवी को वर्णित शर्तों के तहत कैटेगरी-1 के आरंभिक मूल वेतनमान (केवल) पर 6 माह के लिए प्रशिक्षु (सिरफेस) के पद पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है।

पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि प्रार्थी को अनुकंपा के आदार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है और वह इससे पूरी तरह से संतुष्ट भी है। इसलिए आयोग इस प्रकरण को बंद करता है। माननीय अध्यक्ष ने इस पर खुशी भी जाहिर की।

सोशल मीडिया से संज्ञान

← **Vijay Sampla** ✓
10.7K Tweets

Following

 **Vijay Sampla** ✓ @thevijaysampla · Mar 12

बेटी पंपोशा MBBS की पढ़ाई पूरी कर अमृतसर में अपनी इंटरनशिप कर रही थी। आरोपी बेटी को धमकाते थे कि वह भविष्य में उसे कभी डॉक्टर नहीं बनने देंगे। मीडिया में चल रही इन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है। @cpamritsar एवं @DCAmritsar अब तक की कार्यवाही रिपोर्ट तुरंत @NCSC_GoI को भिजवाएं।

Amritsar: अमृत...
From jagran.com - delhi

जागरण Install App E-paper Jagran

ताजा राष्ट्रीय स्पेशल शेयर बाजार दुनिया शिक्षा

Amritsar: अमृतसर में जालंधर की एमबीबीएस डाक्टर ने की खुदकुशी, उकसाने के आरोपितों पर मामला दर्ज

Punjab News: अमृतसर में MBBS की छात्रा ने हॉस्टल में की आत्महत्या, पुलिस ने श्री गुरु रामदास अस्पताल की गाइनी वार्ड की एचओडी डॉ. प्रतिभा, डॉ. बीर दविंदर सिंह, सीआर गगनदीप कौर, डॉ. प्रभहिम्मत, प्रियंका, सीआर नमिशा, करणबीर सिंह, प्रोफेसर स्वाति, जिम्मी स्टेनो और डॉ. पीयूष को नामजद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की उक्त प्रकरण में भूमिका की जांच की जा रही है।

68 26 49 2,158

पंजाब के अमृतसर स्थित गुरु रामदास मेडिकल कालेज में एमबीबीएस डॉक्टर पंपोशा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

परिवार की शिकायत पर वल्ला थाने की पुलिस ने अस्पताल की एचओडी सहित 10 के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया।

मृतका की मां के मुताबिक उनकी बेटी पर उक्त आरोपियों द्वारा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। उसे बहुत टार्वर किया जाता था। बेटी सारी

बात फोन पर बताती थी। बेटी ने एमबीबीएस की थी और श्री गुरु राम दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च वल्ला में इंटरनशिप में गई थी। उक्त आरोपियों से परेशान होकर बेटी ने रात को कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सोशल मीडिया में आई खबर पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर और अमृतसर डीएम समेत संबंधित विभागों से इस मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी।

बैठक



पूर्वोत्तर के बैंक प्रमुखों-कर्मचारी कल्याण संघों के साथ आयोग की बैठक



बीते माह मार्च में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से एक पहल की गई। इस पहल के साथ पहली बार पूर्वोत्तर भारत में कार्यरत सभी बैंकों के प्रमुखों और अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारी संघों के नेताओं की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक का आयोजन गुवाहाटी शहर में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने की। इस बैठक में बैंकों में कार्यरत अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

स्थलीय निरीक्षण



मासूम से दुष्कर्म मामले में आयोग की सख्ती

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल स्थलीय निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचा। दल की अगुवाई आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजु बालो ने की। यहां पहुंच कर माननीय सदस्या ने दुष्कर्म पीड़ित मासूम के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित मासूम को न्याय व हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। माननीय सदस्या ने बाद में मीडिया को भी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिली जिसके बाद से वह लगातार उच्चाधिकारियों के संपर्क में थीं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाकर आरोपी को जल्द सजा दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा।

स्थलीय निरीक्षण



जमीन को लेकर हुआ संघर्ष, पीड़ितों से मिला आयोग

मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देपालपुर तहसील के ककवा गांव में घटित घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचा। दल की अगुवाई आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने की।

मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से आयोग को मिली जानकारी के मुताबिक देपालपुर तहसील के ककवा गांव में स्थित 0.5 हेक्टेयर भूमि 2002 में अनुसूचित जाति के 25 व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, लेकिन एक स्थानीय परिवार उस पर अपना दावा कर रहा था। जबकि जमीन मायाराम बागरी के

नाम पर थी। जब मायाराम कोर्ट के आदेश पर जमीन का कब्जा लेने पहुंचा तो उस पर हमला हो गया।

जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले में सात किसान भी घायल हो गए थे। स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी घायल अनुसूचित जाति वर्ग के पीड़ित परिवार से मिले और घटना की विस्तृत जानकारी ली। माननीय सदस्य ने प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किया।

सुनवाई



आयोग मुख्यालय में सुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में समय-समय पर अनसूचित जाति के लोगों जे जुड़े मामलों की सुनवाई की जाती है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार।

मामले की सुनवाई नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में की गई। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष ने कार्यालय में आए लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनका शीघ्र और न्यायपूर्ण निस्तारण करने का आदेश दिया।

आयोग का उत्तर प्रदेश दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने मार्च माह में उत्तर प्रदेश का दौरा किया। दौरे का नेतृत्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. अंजू बाला ने किया। यहां पर उन्होंने कई विभागों के साथ बैठक की।

उनकी अध्यक्षता में आयोग ने शक्तिनगर में सोनभद्र जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विकास एवं कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से सम्बन्धित विषयों पर समीक्षात्मक बैठक की।

इस दौरान आयोग के निदेशक श्री संजय कुमार सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।



त्वरित व न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए दिए निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय में आए हुए व्यक्तियों की शिकायतों पर सुनवाई की।


सुनवाई के दौरान वादी और संबंधित विभागों के अधिकारियों का पक्ष जानने के बाद त्वरित एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

राम रहीम के खिलाफ दर्ज हुआ केस, संत रविदास और कबीर पर आ टिप्पणी करने का आरोप

गुरुजीत राम रहीम पर संतर रविदास और संत कबीर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करे आरोप लगा है. राष्ट्रीय अनु आयोग (NCSC) ने एक वायरल वीडियो पर संज्ञान लेने हुए संस्था के अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर बयान जारी है पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस दिया और उन्हें तुरंत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है.

signatureglobal.in
Commercial Space for Sale

OPEN >



राम रहीम (File Photo)

संदेश, 19 मार्च 2023, (4822 19 मार्च 2023, 7:35 AM IST)

डेटा राख्या सौदा के प्रमुख गुरुजीत राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. राम रहीम पर संत रविदास और संत कबीर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने एक वायरल वीडियो पर संज्ञान ले



Big 1 पंजाब

जातिवादी टिप्पणी से परेशान MBBS इंटरने ने की आत्महत्या, NCSC अध्यक्ष Vijay Sampla ने अमृतसर प्रशासन से मांगा ATR

March 14, 2023 | inder prajapati | Dainik Saveria News, Dainik Saveria TV, Hindi News, Latest News, MBBS Intern committing suicide, Punjab News, Sri Guru Ram Das Medical College, Vijay Sampla

Spread the News



चंडीगढ़: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर श्री गुरु राम दास मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों द्वारा की गई जातिवादी टिप्पणियों से परेशान होकर कॉलेज के छात्रावास में एक एमबीबीएस इंटरने द्वारा आत्महत्या कर लेने की घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए अमृतसर जिला प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी कर तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है।

में प्रकाशित समाचारों से एनसीएससी को मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उनकी श्वशुरों द्वारा की जा रही जातिवादी टिप्पणियों से परेशान थी, जो कहते थे कि वे उसे डॉक्टर नहीं बनने देंगे।

ग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर मंडलायुक्त (जालंधर मंडल), पुलिस महानिरीक्षक (सीमा रेंज), र जिला) और पुलिस आयुक्त (अमृतसर जिला) को मामले की जांच करने और मामले की जांच करने के लिए ले पर की गई कार्रवाई के तथ्यों और जानकारी के आधार पर, तुरंत, डाक या ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट करें।

24°C THE TIMES OF INDIA

Mumbai Delhi Bengaluru Hyderabad Kolkata Chennai Agra Agartala Ahmedabad Ajmer Aila

SCHOOL AND COLLEGES CHANDIGARH ELECTIONS VIDEOS PHOTOS WEATHER EVENTS BOL DAAL POLLUTION

CHANDIGARH NEWS / NCSC Issues Notice Report On FIR Against Ram Rahim

iel seeks report on FIR against Ram Rahim

IST

SHARE



Chandigarh: Taking notice of a viral video in which Sirsa Dera chief Gurmeet Ram Rahim is seen making derogatory remarks against Guru Ravidass and Sant Kabir, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has issued a notice to the Punjab government officials to submit an action-taken report.

NCSC chairperson Vijay Sampla has taken note of the news video going viral on social media that the Ram Rahim has been booked under section 295-A of the IPC (outraging religious feelings) by the Patara police for allegedly using improper language against Guru Ravidass and Sant Kabir in one of his old public addresses and quoting history wrongly, which had hurt the sentiments of the Ravidassia community.

The NCSC has asked the Punjab chief secretary, the DGP, divisional commissioner (Jalandhar division), DIG (Jalandhar range), deputy commissioner (Jalandhar), and SSP (Jalandhar rural) to investigate the matter and to submit action taken report immediately. tnn

चाकूबाजी में घायल युवक से मिलने पहुँचे सुभाष पारधी

जबलपुर (जय लोक)। 2 दिन पूर्व घमापुर थाना अंतर्गत प्राणघातक हमले में घायल पीड़ित के पक्ष में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के पास मामला आते ही वे घायल से मिलने अस्पताल पहुँचे। 2 दिन के प्रवास पर आए सुभाष पारधी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो वे पीड़ित युवक से मिलने पहुँचे। घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले पारस चौधरी को साई पिल्ले एवं जगन पिल्ले ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया।



जिस पर घमापुर थाना में 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद भी आरोपीयों पर कार्यवाही ना होते देख पीड़ित पक्ष ने अनुसूचित जाति आयोग से गुहार लगाई। इस मामले पर एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए।



राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला से शिष्टाचार भेंट की।



हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति कमीशन के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य ने माननीय श्री विजय सांपला जी से भेंट की।
इस दौरान आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003